ISO 9001:2008	NATIONAL SAFAI KARAMCHARIS FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION (NSKFDC) (A Government of India Undertaking under the Ministry of Social Justice and Empowerment)	

Hazardous Cleaning of Sewers and Septic Tanks

1. Recently, there was a spurt of unfortunate incidents of deaths of sewer/septic workers all over the country. These deaths take place while cleaning sewers and septic tanks due to toxic fumes or asphyxiation while cleaning. These incidents are examples of negligence of the civic authorities about the provisions of the "Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013" (MS Act, 2013) and the rules made thereunder regarding hazardous cleaning of sewers and septic tanks.

2. Main provisions of the MS Act, 2013, which came into force in all States/UTs (except J & K) on 6th December, 2013 and the Rules framed thereunder, are :-

(i) No person, local authority or any agency shall engage or employ, either directly or indirectly, any person for hazardous cleaning of a sewer or a septic tank.

(ii) hazardous cleaning" by an employee, in relation to a sewer or septic tank, means its manual cleaning by such employee without the employer fulfilling his obligations to provide protective gear and other cleaning devices and ensuring observance of safety precautions.

(iii) manually cleaning of sewage is permitted with the permission of CEO of the local authority and with protective gear and safety devices to be provided by the employer as listed in the rules.

(iv) the local authority shall ensure that the cleaning devices listed in the rule are used by persons engaged in cleaning of sewer or septic tank.

(v) the employer shall ensure safety precautions given in the Rules, before, during and post-cleaning of sewer or a septic tank.

(vi) **Violation of the provisions of the Act are punishable with upto two years or with fine upto two lakh rupees or with both which, for any subsequent contravention be upto five years or with fine upto five lakh rupees, or both.**

3. Hon'ble Supreme Court of India has, in a case ordered that in cases of deaths while cleaning sewers and septic tanks since 1993, the employer will pay a compensation of Rs. 10 lakh to the family of the each deceased worker.

4. There is a need to give wide publicity to all stakeholders like sanitation workers, contractors, officers of the local bodies etc. about the provisions of the MS Act, 2013 and the Rules made thereunder so that manual cleaning of sewers and septic tanks is stopped forthwith except in exceptional circumstances that too with the written permission of the CEO of the local authority. In this regard mechanization of the cleaning of sewers and septic tanks holds critical importance.

5. NSFKDC also holds half day workshops in the Municipalities whenever they are ready for this.

आई.एस.ओ. 9001:2008

नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डिवेलपमेंट कारपोरेशन (एनएसकेएफडीसी)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंर्तगत भारत सरकार का उपक्रम)

सीवर एंव सेप्टिक टैंक की जोखिम भरी सफाई

1. हाल ही मै देश में सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों की मृत्यु की दुखद घटनाओं में उछाल आया/बढ़ौतरी हुई है। ये मृत्यु सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान विषैले धुएं या सफाई के दौरान सांस रूकने के कारण हुई हैं। यह घटनाएं नगरीय प्राधिकरणों द्वारा इस अधिनियम एवं इसके बाद सीवर एवं सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के बारे में बनाए गए नियमों के प्रावधानों की लापरवाही का उदाहरण है।

2. एम.एम. अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधान जो सभी राज्यों एवं संध शासित प्रदेशों में (जम्मू एवं कश्मीर को छोडकर) 6 दिसम्बर 2013 से प्रभावी है एवं इसके बाद बने नियमों का सार इस प्रकार से है:–

   - कोई व्यक्ति स्थानीय प्राधिकारी या ऐजंसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को सीवर एव सेप्टिक टैंक की जोखिम भरी सफाई कार्य में नही लगायेंगे।

   - किसी कर्मचारी द्वारा जोखिम भरी सफाई से अभिप्राय सीवर या सेप्टिक टैंक की हाथ से सफाई ऐसी कर्मचारी द्वारा हो जिसे नियोक्ता द्वारा सुरक्षा उपकरण एवं अन्य सफाई उपकरण प्रदान करने के दायित्व पूरा न किया हो एवं सुरक्षा सावधानिओं का पालन सुनिश्चित न किया हो।

   - सीवर की हाथ से सफाई की अनुमति स्थनीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की स्वीकृति पर एवं नियोक्ता द्वारा नियमानुसार रक्षात्मक उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने पर ही दी जा सकती है।

   - स्थानीय अधिकारी यह सुनिचित करेगे कि जो व्यक्ति सीवर या सेप्टिक टैंक सी सफाई कर रहा है वह नियमानुसार स्वच्छता उपकरणों का उपयोग करे।

   - नियोक्ता नियमानुसार सुरक्षा उपाय को सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई से पूर्व, सफाई के समय एव बाद में सुनिचित करेगा।

   - **अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर 2 वर्श का कारावास या 2 लाख रूपये का जुर्माना या दोनो हो सकती है। इस प्रकार के पुनं उल्लंघन पर यह 5 वर्श तक या 5 लाख रूपये का जुर्माना या दोनो हो सकता है।**

3. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एव मामले में आदेश दिया कि वर्ष 1993 के उपरांत सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई में होने वाली मृत्यु के मामले में नियोक्ता 10 लाख रूपये का जुर्माना प्रत्येक मृतक के परिवार को देगा।

4. सभी संबंधित जैसे कि स्वच्छता कर्मचारी, स्थानीय निवास के अधिकारी इत्यादि को एम.एस. अधिनियम 2013 के प्रावधानो के बारे में विस्तार से प्रचार की आवश्यकता है ताकि सीवर एवं सेप्टिक टैंक की हाथ से सफाई के अब रोका जा सके। केवल विशेष परिस्थियों को छोडकर वह भी स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की लिखित स्वीकृति पर सीवर एवं सेप्टिक टैंक की हाथ से सफाई की जा सकती है। इस संबंध में सीवर एवं सेप्टिक टैंक की मशीनों द्वारा सफाई बहुत महत्व रखती है।

5. एनएसकेएफडीसी इस विषय में नगरपालिकाओं में, जहां वे तैयार हैं, आधे दिन की कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रहा है।

———